प्रति,

श्रीमान् चौकी प्रभारी महोदय,
पुलिस थाना लटोरी जिला–सूरजपुर (छ0ग0)

<u>विषयः</u>– अनावेदकगण द्वारा न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल आवेदकगणों के साथ छल एवं कपट करते हुये भ्रष्टतापूर्वक कार्य करने के सबंध में, जाँच कर, अपराध दर्ज करते हुये आवेदकगणों को न्याय दिलाये जाने के सबंध में आवेदन–पत्र।

<u>आवेदकगण</u>:– 01– उमेश कुमार आ0 कैलाश राम उम्र–56 वर्ष,

02– गणेश आ0 रुपदेव जाति–रजवार उम्र–35वर्ष

दोनों निवासी–ग्राम–द्वारिकानगर थाना–जयनगर तहसील–लटोरी जिला–सूरजपुर (छ0ग0)

प्रति

<u>अनावेदकगण</u>:– 01– सुरेन्द्र कुमार पैकरा तहसीलदार लटोरी जिला–सूरजपुर (छ0ग0)

02– शैलेन्द्र दिवाकर नायब तहसीलदार लटोरी जिला–सूरजपुर (छ0ग0)

03– संतोष भनीया पटवारी हल्का नं0–11 ग्राम–लटोरी जिला–सूरजपुर (छ0ग0)

04– रीतेश नागंवशी पटवारी हल्का पटवारी नं0–18 ग्राम–द्वारिकानगर जिला–सूरजपुर (छ0ग0)

S.P.
कार्यालय कलेक्टर सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.)
14/1/26

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला - सूरजपुर
14/1/026

Ganesh Rai उमेश कुमार

आवेदकगण की ओर से निम्न विनय प्रस्तुत हैः-

01. यह कि आवेदक सौमेन्द्र आ0 जगपाल व अन्य ग्राम-रामपुर (छुहीपारा) तहसील-अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ0ग0) व अन्य द्वारा दिनांक 08.12.2025 को राजस्व अभिलेखों में मृत सोनकेलिया के स्थान पर नामांतरण दर्ज करने बावत् आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये थे।

02. यह कि नायब तहसीलदार लटोरी द्वारा दिनांक 08.12.2025 को आवेदन-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् दिनांक 16.12.2025 को राजस्व प्रकरण कमांक 202512263100005/ब-121/2025-26 के अनुसार विविध मद में मामला दर्ज करते हुये अनावेदकगणों को आहूत करने का आदेश पारित करते हुये आगामी तिथि दिनांक 24.12.2025 नियत किया गया था। दिनांक 24.12.2025 को उभयपक्ष अनुपस्थित प्रकरण पूर्ववत् दिनांक 07.01.2026 को नियत किया गया।

03. यह कि दिनांक 07.01.2026 को अनावेदकगण उपस्थित होकर एक आवेदन-पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्य0प्र0संहिता प्रस्तुत करते हुये प्रकरण में आपत्ति प्रस्तुत किये थे, जिसकी प्रतिलिपि आवेदकगणों को प्रदान करते हुये प्रकरण आवेदन-पत्र के जवाब हेतु दिनांक 21.01.2026 नियत किया गया था।

04. यह कि अनावेद कं0 02 द्वारा आवेदकगणों को प्रकरण में आगामी तिथि 21.01.2026 प्रदान किया गया था और दिनांक 21.01.2026 के पूर्व ही आवेदकगणों के साथ छल एवं धोखाधड़ी करते हुये दिनांक 09.01.2026 की तिथि में अंतिम आदेश पारित कर दिया गया, जिसकी जानकारी आवेदकगणों को दिनांक 09.01.2026 को हुआ था, जानकारी मिलने के पश्चात् नकल बावत् आवेदन किये थे, जिसकी नकल आवेदकगणों को दिनांक 13.01.2026 को प्राप्त हुआ है।

Ganesh Das उमेन्द्र कुमार

05. यह कि ग्राम–लटोरी जिला–सूरजपुर (छ0ग0) के प्रकरणों की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार अनावेदक क्रं0 01 तहसीलदार को प्राप्त है। ग्राम द्वारिकानगर तहसील–लटोरी के प्रकरणों की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नायब तहसीलदार लटोरी को प्राप्त है। सौमेन्द्र व अन्य द्वारा ग्राम द्वारिकानगर की भूमि के सबंध में नायब तहसीलदार के समक्ष आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया था। आवेदक सौमेन्द्र वगैरह द्वारा ग्राम–लटोरी की भूमि के सबंध में कोई भी आवेदन–पत्र तहसीलदार लटोरी/अनावेदक क्रं0 01 के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था, परन्तु तहसीलदार लटोरी/अनावेदक क्रं0 01 द्वारा लोक सेवक के पद पर असीन होने के पश्चात् विधि के प्रतिकूल आवेदकगणों के साथ छल करते हुये बिना किसी अधिकार के सौमेन्द्र वगैरह का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करते हेतु हल्का पटवारी/अनावेदक क्रं0 03 एवं 04 को ज्ञापन जारी किया गया था। हल्का पटवारी/ अनावेदक क्रं0 03 एवं 04 द्वारा बिना किसी आदेश व ज्ञापन के सौमेन्द्र वगैरह के साथ आपसी साठ–गांठ कर राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज कर दिया गया है, जबकि तहसीलदार लटोरी ऑनलाईन नामांतरण आदेश पूर्व के दिनांक 29.12.2025 को निरस्त कर दिया गया था।

06. यह कि नायब तहसीलदार लटोरी द्वारा आवेदकगणों को दिनांक 21.01.2026 की तिथि प्रदान की गयी थी, प्रकरण जवाब हेतु दिनांक 21.01.2026 नियत किया गया था और आवेदकगणों को दिनांक 21.01.2026 तिथि देने के पश्चात् दिनांक 09.01.2026 तिथि में आवेदकगणों के साथ छल करते हुये न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल भ्रष्टतापूर्वक आदेश पारित किया गया है, जो गंभीर आपराधिक कृत्य है, जो दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित है।

07. यह कि अनावेदकगण एक राय होकर अपने पदीय कर्तव्यों के विपरित जाकर भ्रष्टतापूर्वक यह जानते हुये की ग्राम–लटोरी की भूमि के

Ganesh Ras [signatures]

सबंध में कोई भी आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी आवेदकगणों के साथ विद्वेश रखते हुये आदेश पारित किया गया है, जो धारा 257 एवं 318 भा0नागरिक संहिता 2023 के तहत दण्डनीय आपराधिक कृत्य किया गया है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि न्यायालय नायब तहसीलदार लटोरी के न्यायालय से राजस्व प्रकरण क्रमांक 202512263100005/ब-121/2025-26 सौमेन्द्र व अन्य प्रति उमेश कुमार व अन्य से संबंधित मूल नस्ती जप्तकर मामले का निष्पक्ष जाँच करते हुये अनावेदकगणों के विरुद्ध धारा 257 एवं 318 बी0एन0एस0 के तहत अपराध दर्ज करते हुये आवेदकगणों को न्याय दिलाये जाने की कृपा हो।

Ganesh Raj उमेश कुमार

आवेदकगण

दिनांकः-14.01.2026

स्थानः-अम्बिकापुर

<u>प्रतिलिपिः</u>- 01- श्रीमान् जिला दण्डाधिकारी महोदय, सूरजपुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

02- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय, सूरजपुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

03- श्रीमान् महानिरीक्षक महोदय, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ0ग0) को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

क्र0	25		2026
दिनांक	09	1	2026

(फार्म – अ)

परिपत्र दो एक की कण्डिका 6 देखिये

राजस्व आदेश पत्र की रेव्हेन्य2 आर्डर शीट

न्यायालय तहसीलदार लटोरी के न्यायालय मे मामला क0 202512263100005./2025–26

विषय :– पूर्व आदेश के परिपालन हेतु। मामले का श्रेणी ब–121

ग्राम:– ....द्वारिकानगर... बन्दोबस्त क0 ....प0ह0न0......18 ...तहसील लटोरी

कलेक्टर क क0.........................सन 202 अ0वि0अ0 क क0...........................202 –20

तहसीलदार का कमांक ....सन 202 –202

आदेश अथवा कार्यवाही की तारीख	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आदेश अथवा कार्यवाही	जहाँ आवश्यक हो पक्षों तथा वकीलो के हस्ताक्षर आदेश का पालन करने वाले लिपिक के संक्षिप्त हस्ता0 व पालन की तारीख
1	2	3
16/12/25	– आवेदक सौमेन्द्र आ0 जगपाल व अन्य 07 सभी जाति रजवार निवासी ग्राम द्वारिकानगर तहसील लटोरी जिला सूरजपुर छ0ग0 के द्वारा ग्राम द्वारिकानगर स्थित भूमि ख0न0 42 रकबा 101.71 हे0 भूमि के मामले मे ब्यवहार न्यायालय सूरजपुर के व्य0वाद क0 204–ए/2004 मे पारित निर्णय दिनॉक 03/03/2009 के परिपालन हेतु मा0उच्च न्यायालय बिलासपुर के wpc नं0 1348/2023 पारित निर्णय दिनॉक 14/10/2025 के अनुसार वाद भूमि के मामले मे पारित निर्णय दिनॉक 03/03/2009 के परिपालन कराये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। – प्रकरण उचित मद ब–121 मे दर्ज हो। – प्रकरण मे आवेदक द्वारा तलबाना अदा किये जाने पर अनावेदकगण आहूत हो। पे0 ता0 24/12/25 नायब तहसीलदार तहसील–लटोरी जिला– सूरजपुर (छ0ग0) CERTIFIED TO BE A TRUE COPY TAHSILDAR LATORI	

CANCELLED CANCELLED

24/12/25 — प्रकरण पेश।
— अनावेदक अनु०।
— प्रकरण पूर्ववत्।

नायब तहसीलदार
तहसील लटोरी
जिला सूरजपुर (छ.ग.

पे०ता०
07/01/26.

CERTIFIED TO BE A TRUE COPY
TEHSILDAR LATORI

1
07/01/2

राजस्व आदेश अनुवृती पत्र

1	2	3
07/01/2026	– प्रकरण पेश। – आवेदक द्वारा अधि० उप०। – अनावेदक क्र० 01 सहित अधि० उप०। – अनावेदक द्वारा आवेदन मय दस्तावेज प्रस्तुत। – आवेदक पक्ष को प्रति प्राप्त। – आवेदक पक्ष के जवाब हेतु। – अनावेदक पक्ष द्वारा बतलाया गया प्रकरण में वर्तमान में स्थगन प्राप्त नहीं है। – प्रकरण अवलोकनार्थ नियत। निरन्तर. 28/01/26. 21/01/26. नायब तहसीलदार तहसील लटोरी जिला सूरजपुर (छ.ग.)	धनसाय [illegible] 21/1/26 [illegible] 21/01/2026 [illegible] फरहारो
	– पुकार। – अनावेदक प्रधान स्वतः उप०। – प्रकरण अध्ययन हेतु। नायब तहसीलदार तहसील लटोरी जिला सूरजपुर (छ.ग.)	

FOR COPYING FEES ONLY
CANCELLED
CANCELLED
CANCELLED

CERTIFIED TO BE A TRUE COPY
TAHSILDAR LATORI

V

रा0प्र0 क0 202512263100005 / ब–121 / 2025–26

पक्षकार :– सोमेन्द्र वगै0 / उमेश कुमार वगै0

राजस्व आदेश अनुवृती पत्र

1	2	3
9/01/26	– प्रकरण पेश। – प्रकरण पूर्व से अध्ययन हेतु नियत। प्रकरण का अध्ययन मनन किया गया। प्रकरण के आवेदक सोमेन्द्र वर्ग0 निवासी ग्राम द्वारिकानगर के द्वारा अनावेदकगण उमेश कुमार वगै0 निवासी ग्राम द्वारिकानगर तहसील लटोरी जिला सूराजपुर छ0ग0 के मामले मे उक्त प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय बिलासपुर के के समक्ष पेश WPC नम्बर 1269 / 2023 एवं WPC 1348 / 2023 मे मा0 उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा परित आदेश दिनॉक 14 / 10 / 2025 के परिपालन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदक के आवेदन पर अनावेदकगण को नोटिस जारी कर आहूत किया गया। अनावेदकगण को सुना गया, आवेदकगण के द्वारा प्रकरण मे नियत सुनवाई दिनॉक 07 / 01 / 2025 को बतलाया गया कि उक्त प्रकरण मे वर्तमान मे स्थगन प्राप्त नहीं हुआ है। प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालनके सम्बंध मे है जिससे मा0 उच्च न्यायालय बिलारसपुर के आदेश दिनाक 14 / 10 / 2025 के परिपालन मे हल्का पटवारी राजस्व अभिलेख अद्यतन करें। प्रकरण नस्तीवद्ध कर दा0 दफ्तर हो। नायब तहसीलदार तहसील लटोरी जिला सूरजपुर (छ0ग0) नायब तहसीलदार तहसील लटोरी जिला सूरजपुर (छ.ग.) CERTIFIED TO BE A TRUE COPY TAHSILDAR LATORI	

CANCELLED CANCELLED
FOR COPYING FEES ONLY

FIVE RUPEES

न्यायालयः— श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय तहसील लटोरी, जिला सूरजपुर (छ0ग0)

रा.प्र.क्र. ....

गौरीकुवर वगैरह प्रति उमेश कुमार वगैरह

मानयीय व्यवहार न्यायालय के परिपालन मे लंबित उक्त राजस्व प्रकरण मे अंतिम आदेश पारित कर आवेदकगण का नाम राजस्व अभिलेखों मे दर्ज किए जाने एवं खाता विभाजन किए जाने का आदेश पारित किये जाने हेतु आवेदन पत्र :—

R-II
1. अनावेदकगण आहूत
ह0
08/12/2015.

आवेदकगण सौमेन्द्र आ0 जगपाल माता सोनकेलिया, उम्र लगभग 45 वर्ष 2. तिला बाई पुत्री जगतपाल, माता सोनकेलिया उम्र लगभग 43 वर्ष निवासी ग्राम रामपुर, (छूहीपारा) तहसील—अम्बिकापुर,, जिला—सरगुजा (छ0ग0) 3. बनारसी आ0 गनपत माता स्व0 गौरीकुवंर, उम्र लगभग 63 वर्ष ग्राम कैलाशपुर, तहसील—सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ0ग0) 4. धनसाय पिता गनपत माता स्व0 गौरीकुवंर उम्र लगभग 60 वर्ष, 5. मानसाय आ0 गनपत माता गौरीकुवंर उम्र लगभ 57 वर्ष, क्रमांक 1, 4,एवं 5 निवासी ग्राम द्वारिकानगर, तहसील लटोरी जिला सूरजपुर (छ0ग0) 6.देवती कुवंर पिता माधो रजवार, उम्र लगभग 75 वर्ष ग्राम करौधा, तहसील प्रतापपुर, जिला सूरजपुर (छ0ग0) 7. भोला पिता रामप्रसाद माता दुरपतिया उम्र लगभग 42 वर्ष, 8. हरिनंदन रजवार पिता रामप्रसाद माता दुरपतिया उम्र 35 वर्ष सभी जाति रजवार निवासी क्रमांक 7,8 ग्राम गोंदा, तसहील प्रतापपुर, जिला सूरजपुर (छ0ग0) की ओर से निम्न लिखित निवेदन प्रस्तुत है :—

1. यह कि आवेदकगण स्व0 गौरीकुवंर एवं गौरीकुवंर की बहन देवती कुवंर तथा बहन स्व0 दुरपितया के पुत्र भोला रजवार एवं हरिनंदन रजवार वारिशगण हैं।

2. यह कि स्व0 गौरीकुवंर द्वारा माननीय व्यहवार न्यायाधीश वर्ग—01 महोदय सूरजपुर के समक्ष एक व्यहवारवाद क्र. 204ए/2004 प्रस्तुत किया गया था, उक्त व्यवहारवाद मे मानीनीय व्यहवार न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय दिनांक 03.03.2009 के परिपालन मे स्व0 गौरीकुवंर माननीय न्यायालय नायब तहसीलदार पिलखा वर्तमान नायब तहसीदार लिंक कोर्ट लटोरी, मे व्यवहारवाद के क्रियान्वयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत की थी जो वर्तमान मे माननीय तहसीलदार महोदय लटोरी के न्यायालय मे लंबित है परंतु अत्यधिक दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि लगभग 16 वर्ष हो जाने पश्चात भी विभाजन का आदेश व्यवहार न्यायालय की डिक्री के परिपालन मे नही हो सका है।

CERTIFIED TO BE A TRUE COPY
TAHSILDAR LATORI

CANCELLED
CANCELLED
FOR COPYING FEES ONLY

3. यह कि गौरी कुंवर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार लिंक कोर्ट लटोरी से विभाजन कराने में सफल न हो सके इसलिए मात्र प्रकरण को लम्बित रखने के नियत से अनावेदकगण माननीय न्यायालय में भाँति–भाँति के विविध आवेदन पत्र प्रस्तुत करते है और खारिज होने पर उसके विरूद्ध पुनरीक्षण कर प्रकरण की कार्यवाही को बाधित कर देते है।

4. यह कि अनावेदकगण माननीय न्यायालय के प्रकरण को लम्बित रखने की नियत से माननीय न्यायालय में प्रस्तुत विविध आवेदन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष WPC नम्बर 1269/2023 एवं WPC 1348/2023 प्रस्तुत किया था जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह लिखते हुए दिनांक 14.10.2025 को निरस्त कर दिया गया है कि माननीय व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति के अनुसार माननीय न्यायालय को प्रकरण में अंतिम आदेश पारित कर व्यवहार न्यायालय के निर्णय का क्रियान्यवन किए जाने योग्य है।

अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि आवेदकगण का आवेदन स्वीकार करते हुए स्व0 गौरी कुंवर के उत्तराधिकारी की हैसियत से उनका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किए जाने हेतु हल्का पटवारी को आदेशित किए जाने की महान कृपा हो।

हस्ता0 आवेदकगण

अधिवक्ता - आवेदकगण

ERTIFIED TO BEA TRUE COPY
AHSILDAR LATORI

मो.नं.-91314498 94
9926155408

तहसीलदार महोदय
जिला-सूरजपुर, छ.ग. लटोरी

रा.प्र.क्र. 202512263100005 ब/121/2025-26

गौरी कुंवर प्रति उमेश कुमार
(मृत)

आवेदन पत्र अंतगर्त आदेश 7 नियम 1 सी.पी.
सी. एंव सह पठित धारा 32 छ.ग. भू.रा.संहिता

अनावेदक उमेश कुमार की ओर से निम्न आवेदन पत्र पेश है:-

1. यह कि उक्त प्रकरण विरोधी पक्षकारों की उपस्थिति एंव उपस्थित उमेश कुमार व दो अन्य (3 लोग) पक्षकार को मूल आवेदन पत्र एंव दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्रदाय हेतु आज नियत है।

प्रप्त किया आवेदन 8 426

2. यह कि प्रस्तुत मूल आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रकट है कि आवेदकगण का नाम, वर्णन एंव निवास स्थान का स्पष्ट लेख नहीं है।

3. यह कि प्रकरण में कौन-कौन प्रतिवादी/अनावेदक पक्ष है उनका विवरण पक्षकार कॉलम में निर्मित नहीं है।

4. यह कि कौन-कौन क्या उपचार मांग रहें हैं स्पष्ट नहीं है, कौन मृत है उसके वारिसान कौन-कौन है, लेख नहीं है, इस प्रकार मूल आवेदन पत्र चलने योग्य नहीं है, जिससे न्यायालय के प्रक्रिया का दुरूपयोग हो रहा है। इसलिए मूल आवेदन पत्र निरस्त या वापस किया जावे।

अतः प्रार्थना है कि मूल आवेदन पत्र वापस कर दिया जावे या निरस्त किया जावे।

FOR COPYING FEES ONLY
CANCELLED

दिनांक 07.01.2026

उमेश कुमार
अनावेदक
उमेश कुमार

D.K. Kisan
अधिवक्ता
जिला-सूरजपुर (छ0ग0) नं0-18

CERTIFIED TO BE A TRUE COPY

उमेश कुमार
Ganesh Rai